25/5/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपा. प्र. अधि.
प्रा.पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से शामिल किया गया। पत्रावली
नंबर से खारिज हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/279

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–79/2022 (जी.सी.एम.एस. नं. 2022/279) दायर दिनांकः–20.04.2022

–:: अनवान ::–

1. कलावती पुत्री मन्शाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति नायक साकिन ढ़ाबा हाल आबाद 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. रोशनी देवी पुत्री मन्शाराम पत्नी कालूराम जाति नायक साकिन ढ़ाबा हाल आबाद 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्णादेवी पुत्री मन्शाराम पत्नी केसराराम जाति नायक साकिन ढ़ाबा हाल आबाद 60 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लूणाराम पुत्र मन्शाराम (फौत) जरिये वारिसान :–
   1/1 सन्तरो पत्नी लूणाराम जाति नायक निवासी ढ़ाबा हाल सादुलशहर तहसील सादुलशहर।
   1/2 राजकुमार पुत्र लूणाराम जाति नायक निवासी ढ़ाबा तहसील सूरतगढ़।
   1/3 सुमन पुत्री लूणाराम पत्नी गिरधारी जाति नायक निवासी केसरीसिंहपुरा।
   1/4 मन्जु पुत्री लूणाराम पत्नी जैनाराम जाति नायक निवासी गणेशगढ़।
   1/5 रीना पुत्री लूणाराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति नायक निवासी पदमपुर।
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1. श्री जसवीर सिंह बराड़ वकील प्रार्थीगण

2. श्री रामकुमार सहारण वकील अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 1/4, 1/5

3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 25/05/2026

1. उभय पक्ष उपस्थित। बहस दिनांक 08.05.2026 को सुनी गई।
2. वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीयान के भाई व अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 के पिता लूणाराम पुत्र मन्शाराम के नाम से वाके चक 18 एल.जी.डब्ल्यू–बी की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 73/65 के पत्थर नं. 21/302 (46) के किला नं. 1 ता 3/0.759, 8 ता 13 की 1.518, 14/0.126, 18 ता 23 की 1.518 कुल 3.921 हैक्टर बारानी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त जैरवाद रकबा प्रार्थीयान एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 के भाई/पिता लूणाराम के नाम [illegible] हिस्सा व माता/दादी चन्दो पत्नी मन्शाराम के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। [illegible] रकबे में से लूणाराम ने अपने जीवनकाल में अपने नाम का 1/2 हिस्सा में से 2.404 हैक्टेयर भूमि का [illegible] कर दिया था तथा बाद में अपनी माता का 1/2 हिस्सा सरकारी मशीनरी से साठ–गांठ कर अपने नाम अंकित करवा लिया। प्रार्थीयान की माता चन्दो के 1/2 हिस्सा में प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा कानूनी रूप से बनता है। प्रार्थीयान व अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 की बहन [illegible] बिमला पत्नी मानूराम अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। इसलिये प्रार्थीगण जैरवाद भूमि में 3/5 हिस्सा के खातेदार कृषक है। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 के पिता लूणाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि अंकित होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर उक्त भूमि को बेचान करने पर उतारू है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि चक 18 एल.जी. डब्लयू–बी की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 73/65 के पत्थर नं. 21/302 (46) के किला नं. 1 ता 3/0.759, 8 ता 13 की 1.518, 14/0.126, 18 ता 23 की 1.518 कुल 3.921 हैक्टर बारानी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रहन, बैय ना करें।

3. वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का जैरवाद रकबा में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला भी नही बनता है तथा ना ही किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण की माता व अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 की दादी चन्दोदेवी बेवा मन्शाराम के नाम की कृषि भूमि वाके चक 18 एल.जी.डब्लयू–बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 21/302 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर बारानी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थीगण की माता व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 की दादी चन्दो देवी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण ने अपना हक व हिस्सा का परित्याग करके जरिये दस्तबरदारी दिनांक 22.01.1997 को प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 के पिता लूणाराम के पक्ष में कर दिया। जिसके आधार पर जैरवाद भूमि लूणाराम के नाम से दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा अपनी माता चन्दोदेवी के नाम की भूमि में से अपना हक परित्याग करने के उपरान्त उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही रहा है। इस भूमि बाबत् एक प्रार्थना पत्र वर्ष 2001 में अनवान कलावती बनाम लूणाराम वगैरा भी प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत द्वारा खारिज किया गया। उक्त तथ्यों को छिपाकर प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पुनः पेश किया है। प्रार्थीगण के पास कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

4. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को वितर्को परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र सहित पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश के द्वारा इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है, जिसे हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दूओं पर अपना विनिश्चय देना है:–

01. प्रथम दृष्टया मामला।
02. सुविधा का सन्तुलन।
03. अपूरणीय क्षति।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

5. इन बिन्दुओं पर न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है:–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

6. प्रथम दृष्टया मामले को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। प्रथम दृष्टया मामले के सम्बन्ध में न्यायालय को यह देखना है कि प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष वास्तविक रूप से ऐसा प्रश्न रखा हो, जिसमें न्यायालय को विचारण की आवश्यकता हो। इस संबंध में मूल वाद प्रार्थीगण द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 के पिता लूणाराम पुत्र मन्शाराम के नाम से चक 18 एल.जी.डब्लयू.–बी की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 73 नया पुराना 65 पत्थर नं. 21/302 (46) के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8 ता 14/1, 18 ता 23 कुल 3.921 हैक्टर बारानी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में उक्त रकबा प्रार्थीगण की माता चन्दो बेवा मन्शाराम व उनके भाई लूणाराम के नाम से पत्थर नं. 21/302 के किला नं 1 ता 25 में कुल 25.00 बीघा 1/2–1/2 हि[illegible] रिकार्ड थी। माता चन्दो के देहान्त के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 द्वारा [illegible]कृत [illegible]वेज दिनांक 22.01.1997 द्वारा हकत्याग लूणाराम के पक्ष में कर दिया गया। जिसके पश्चात [illegible] नं. 21/302 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 25.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के भाई व अ[illegible]1 ता 1/5 के पिता लूणाराम के नाम से दर्ज हुई। इसके [illegible] भूमि में से 2.404 हैक्टर भूमि का बेचान अन्य किसी को कर दिया। वर्तमान में लूणाराम के नाम से 3.921 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड है। लूणाराम फौत हो चुका है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उनके भाई ने सांठ–गांठ करके उनकी माता का हिस्सा अपने नाम अंकित करवा लिया है। जबकि उनके द्वारा दिनांक 22.01.1997 को जरिये पंजीकृत दस्तबरदारी अपना हक व हिस्सा भाई के नाम किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:54 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण से ज्यादा अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित है। ऐसे में उपरोक्त विवेचानुसार कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवचनानुसार प्रार्थी स्वयं के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहे हैं।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति

7. सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनो बिन्दूओं का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र मत है कि चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया गया है। ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रसारित नही किये जा सकते है। जिस कारण उक्त दोनो बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते है।

चूंकि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

आदेश

8. फलतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण मृतक लुणाराम जरिये वारिसान सन्तरो आदि अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा टी.आई. दिनांक 20.04.2022 भी निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested